



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022023-243374
CG-DL-E-03022023-243374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1
PART 1—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]
No. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2023/माघ 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023/MAGHA 13, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

विवाद समाधान के लिए बाहरी प्रख्यात व्यक्तियों/ विशेषज्ञों की समिति का पुनर्गठन

सं. अन्वेषण-15022(13)/6/2017-ओएनजी-डी-V (ई-38889).—दिनांक 17 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित दिनांक 16 दिसंबर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना सं. 387 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने विवाद समाधान के लिए एतद्वारा बाहरी प्रख्यात व्यक्तियों की/ विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, नामतः-

क्र.सं.	नाम
1	श्री जी.सी. चतुर्वेदी, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, भारत सरकार
2	श्री विकास सी. बोरा, पूर्व सीएमडी, ओआईएल और ओएनजीसी
3	श्री विजय कुमार मुथुराजू परवासाराजू, स्वतंत्र निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया

2. समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष होगा। हालांकि, सरकार के पास किसी भी कारण से किसी भी समय किसी भी सदस्य को समिति से अलग करने का अधिकार सुरक्षित है।

3. यहाँ इसमें समाविष्ट किसी भी बात से समिति के समक्ष हुई कोई भी कार्यवाही इसके पुनर्गठन पर प्रभावित नहीं होगी। इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सभी लंबित कार्यवाहियां पुनर्गठित समिति को 'जहां हैं जैसे हैं' के आधार पर अंतरित हो जाएंगी और पुनर्गठित समिति को सभी कार्यवाहियों, जो पहले की समिति के समक्ष लंबित थीं, का निपटान करने/सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार होगा एवं उनके शीघ्र समाधान के लिए आगे के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी।

राजेंद्र कुमार कुरील निदेशक, (अन्वेषण), एमओपीएनजी

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2023

Reconstitution of Committee of External Eminent Persons/Experts for Dispute Resolution

No. Expl-15022(13)/6/2017-ONG-D-V (E-38889).—In partial modification of the Gazette Notification No. 387 dated 16th December, 2019, published on 17th December, 2019, the Government of India hereby reconstitutes the Committee of External Eminent Persons/Experts For Dispute Resolution with the following members, namely:-

Sl. No.	Name
1.	Sh. G. C. Chaturvedi, IAS (Retd.), Former Secretary, Petroleum and Natural Gas, Government of India
2.	Sh. Bikash C. Bora, Former CMD, OIL and ONGC
3.	Sh. Vijay Kumar Muthu Raju Paravasa Raju, Independent Director, LIC of India

2. The tenure of the members of the Committee shall be two years from the date of publication of this Notification. However, the Government reserves the right to dissociate any member from the Committee at any time without assigning any reason.

3. Nothing comprised herein shall vitiate any proceedings held before the Committee upon its reconstitution. With effect from the date of publication of this Notification, all pending proceedings shall stand transferred to the reconstituted Committee on 'as is where is basis' and the reconstituted Committee shall have jurisdiction to continue dealing with/hearing all proceedings that were pending before the Committee and shall take further steps necessary for their expeditious settlement.

RAJENDER KUMAR KUREEL, Director (Exploration), MoPNG